

GOVERNMENT OF INDIA (भारत सरकार)
MINISTRY OF RAILWAYS (रेल मंत्रालय)
(RAILWAY BOARD)

No.2006/TG.I/20/P/LTC pt.

New Delhi, dated 02.08.2017

**Chief Commercial Managers,
All Zonal Railways.**

(COMMERCIAL CIRCULAR NO. 56 of 2017)

Sub: Levy of GST on charges for verification of journey details.

Please refer to this office letter of even number dated 11.06.2014 (CC No. 25 of 2014) wherein it was informed that charges realised for verification of LTC details do not fall in the negative list and exempt list circulated by Ministry of Finance and hence, Zonal Railways should realise service tax on these charges.

2. Zonal Railways while referring to these instructions have requested to advise the % (percentage) or amount of Goods and Services Tax (GST) to be levied on charges being realized for verification of journey details/ LTC verification.

3. The matter has been examined and GST may be levied on charges for verification of journey details as follows:

- Individual (Not Business Entity) – Not leviable.
- Business Entity (@18% leviable on reverse charges basis) subject to business entity giving their GST-IN. In other words business entities will pay GST @ 18% themselves and indicate their GST-IN to Railways, which should be captured by off line system.
- Government (Central/State) - Not leviable.

4. Necessary instructions may be issued to all concerned.

5. This issues with the concurrence of Finance & Accounts Directorate of Ministry of Railways.


(Vikram Singh)
Director Passenger Marketing
Railway Board

No.2006/TG.I/20/P/LTC pt.

New Delhi, dated 02.08.2017

Copy forwarded to:

FA & CAO, All Zonal Railways.
Director (Audit), All Zonal Railways.


for Financial Commissioner, Railways

Del/B/ny documents/LETTER/letter 2017

Copy to:

1. CCM/PMs and CCM/PSs, all Zonal Railways.
2. AM(C&IS), Adv. Accounts, LA, EDV(T), EDFC, DF(C), Director(C&IS), PPS/FC, OSD/TC, F(C), TC-II, C&IS & V(SS) branches of Railway Board.
3. MD/IRCTC, B 148, 11th Floor, Statesman House, Barakhamba Road, New Delhi - 110001
4. General Manager/PRS-I, CRIS, Chanakyapuri, New Delhi.
5. Director General, Professor/Training & Professor/Commercial Railway Staff College, Vadodara.
6. The Principals, Zonal Railway Training Institutes, Central Railway/Bhusawal, Eastern Railway/Bhuli-Dhanbad, Northern Railway/Chandausi, East Central railway/Muzaffarpur, NF Railway/Alipurduar, Southern Railway/Trichy, South Central Railway/Moula Ali, SE Railway/Sini, North Western Railway/Udaipur.
7. Director, Indian Railway Institute of Transport Management, Hardoi Bypass Road, Manak Nagar, Lucknow-2260011.
8. General Secretary, National Federation of Indian Railwaymen (NFIR), 3, Chelmsford Road, New Delhi.
9. General Secretary, All India Railwaymen Federation (AIRF), 4, State Entry Road, New Delhi.
10. Secretary General, Federation of Railway Officers Association (FROA), Room No. 370, Rail Bhawan, New Delhi.
11. Secretary General, Indian Railways Promotee Officers Federation (IRPOF), Room No. 268, Rail Bhawan, New Delhi.
12. Secretary General, All India RPF Association, Room No. 256-D, Rail Bhawan, New Delhi.
13. CTM, Metro Railway, Metro Rail Bhawan, 33/1, J.L. Nehru Road, Kolkata-71.

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय / MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड) / RAILWAY BOARD

सं. 2006/टीजी-1/20/पी/एलटीसी पार्ट

दिनांक: 02.08.2017

मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें.

(2017 का वाणिज्यिक परिपत्र सं. 56)

विषय: यात्रा के ब्यौरे के सत्यापन के प्रभारों पर जीएसटी लगाना।

कृपया इस कार्यालय के दिनांक 11.06.2014 के समसंख्यक पत्र (2014 के वाणिज्यिक परिपत्र सं. 25) का अवलोकन करें जिसमें यह सूचित किया गया था कि एलटीसी के ब्यौरों के सत्यापन के लिए वसूल किए जाने वाले प्रभार वित्त मंत्रालय द्वारा परिपत्रित नकारात्मक सूची तथा छूट प्राप्त सूची में नहीं हैं और इसलिए क्षेत्रीय रेलों को इन प्रभारों पर सेवाकर वसूल करना चाहिए।

2. क्षेत्रीय रेलों द्वारा इन अनुदेशों का हवाला देते हुए यात्रा के ब्यौरे/एलटीसी के सत्यापन के लिए वसूल किए जाने वाले प्रभार पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) का % (प्रतिशत) अथवा राशि के बारे में सूचित करने का अनुरोध किया गया है।

3. इस मामले की जांच की गई है और यात्रा के ब्यौरों के सत्यापन के प्रभारों पर निम्नानुसार जीएसटी लगाई जाए:

- व्यक्तिगत (व्यापारिक संस्था न हो) - वसूल नहीं किया जाएगा।
- व्यापारिक संस्था (रिवर्स प्रभारों के आधार पर 18% की दर से वसूल किया जाएगा) बशर्ते कि व्यापारिक संस्था ने अपना जीएसटी-आईएन दिया हो। दूसरे शब्दों में व्यापारिक संस्थाएं स्वयं 18% की दर से जीएसटी का भुगतान करेंगी और रेलों को अपना जीएसटी-आईएन सूचित करेंगी, जिसे ऑफ लाइन प्रणाली के माध्यम से दर्ज किया जाएगा।
- सरकार (केन्द्रीय/राज्य) - वसूल नहीं किया जाएगा।

4. सभी संबंधितों को आवश्यक अनुदेश जारी किए जाएं।

5. इसे रेल मंत्रालय के वित्त एवं लेखा निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

(विक्रम सिंह)

निदेशक यात्री विपणन
रेलवे बोर्ड

सं. 2006/टीजी-1/20/पी/एलटीसी पार्ट

दिनांक: 02.08.2017

प्रतिलिपि अग्रेषितः

प्रधान वित्त सलाहकार, सभी क्षेत्रीय रेलें।
निदेशक (लेखा परीक्षा), सभी क्षेत्रीय रेलें।

कृते वित्त आयुक्त, रेलें

प्रतिलिपि प्रेषितः

1. सीसीएम/पीएम एवं सीसीएम/पीएस सभी क्षेत्रीय रेलें।
2. अपर सदस्य (सीएंडआईएस), सलाहकार लेखा, विधि सलाहकार, का नि सतर्कता(टी), का नि एफ (सी), निदेशक एफ (सी), निदेशक (सीएंडआईएस), प्रमुख निजी सचिव/वित्त आयुक्त, वि का अधिकारी/टी सी, वित्त (सी), टीसी-11, सीएंडआईएस एवं सतर्कता (एस एस) शाखाएं रेलवे बोर्ड।
3. प्रबंध निदेशक, /आईआरसीटीसी, बी-148, 11वीं मंजिल, स्टैट्समैन हाउस, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली -110001.
4. महाप्रबंधक/पीआरएस-1, क्रिस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली।
5. महानिदेशक, प्रोफेसर/ प्रशिक्षण तथा प्रोफेसर/ वाणिज्यिक रेलवे स्टाफ कॉलेज, बड़ोदरा।
6. प्रिंसिपल, क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण संस्थान, मध्य रेलवे/भुसावल, पूर्व रेलवे/भूली-धनवाद, उत्तर रेलवे/ चंदौसी, पूर्व मध्य रेलवे/ मुजफ्फरपुर, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे/ अलीपुरद्वार, दक्षिण रेलवे/ त्रिची, दक्षिण मध्य रेलवे/मौला अली, दक्षिण पूर्व रेलवे/सिनी, उत्तर पश्चिम रेलवे/ उदयपुर।
7. निदेशक, भारतीय रेलवे परिवहन प्रबंधन संस्थान, हरदोई बाईपास रोड, मानक नगर, लखनऊ- 2260011.
8. जनरल सेक्रेटरी, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन (एनएफआईआर), 3, चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली।
9. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन (एआईआरएफ), 4, स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली।
10. सेक्रेटरी जनरल, फेडरेशन ऑफ रेलवे आफिसर्स एसोसिएशन, (एफआरओए), कमरा नं 370, रेल भवन, नई दिल्ली।
11. सेक्रेटरी जनरल, इंडियन रेलवे प्रमोटी आफिसर्स फेडरेशन, (आईआरपीओएफ), कमरा नं 268, रेल भवन, नई दिल्ली।
12. सेक्रेटरी जनरल, ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन, कमरा नं 256- डी, रेल भवन, नई दिल्ली।
13. सीटीएम, मेट्रो रेलवे, मेट्रो रेल भवन, 33/1, जे एल नेहरू रोड, कोलकाता-71
14. प्रबंध निदेशक, कोंकण रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड, बेलापुर भवन, प्लॉट नं. 6, सेक्टर 11, सीबीडी बेलापुर, नवी मुम्बई-400614.
